APPENDIX-TWO
FORM-2(a)
SEE RULE 17(A) OF THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2013

Email : deo_bageshwar@yahoo.com
Phone Number : 20417
Fax Number : 2020417

OFFICE OF DISTRICT EDUCATION OFFICER Bageshwar, Uttarakhand
Letter No : 2394
Dated : 10-07-2023

To,

The Manager,
VIVEKANAND VIDYA MANDIR INTER COLLEGE MANDALSERA BAGESHWAR, MANDALSERA BAGESHWAR
Bageshwar, Bageshwar, Pin-Code: 263642

Sub: Regarding issue of compliance certificate of prescribed norms and standard of the schedule of RTE Act under Rule 17(A) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules 2013 for the purpose of section- 19(2) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your school's declaration form received on dated 10-07-2023 Convey the compliance certificate for prescribed norms and standards of schedule of the Act under SECTION-19(2) of the Act to your school VIVEKANAND VIDYA MANDIR INTER COLLEGE MANDALSERA BAGESHWAR, MANDALSERA BAGESHWAR, Bageshwar, Bageshwar, Pin-Code: 263642.The registration/recognition number of your school is RTE67682 in District Bageshwar.This registration/recognition is for the period from 10-07-2023 to 10-07-2028 class Pre-Primary to Class V in English medium. if Prescribed norms and standards of schedule of the Act are violated in future then act shall be taken for the withdrawal of recognition/no objection certificate according to rule 18 of Uttarakhand Right to Education rules,2011.

Your's faithfully,
Chief Education Officer
District Bageshwar
Uttarakhand

*This is system generated certificate no signature required.

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,प्रा0शि0 बागेश्वर

पत्रांक संख्या/7394-7429/प्राथमिक–जूनियर मान्यता/2018–19 दिनांक 22 फरवरी 2019

सेवा में

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक

विवेकानन्द विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज मण्डलसेरा

विकासखण्ड– बागेश्वर

विषय– **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावाली 2011 के नियम 17 में उपनियम (6) के अर्न्तगत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।**

महोदय/महोदया

आपके निजी विद्यालय मान्यता आवेदन पत्र के क्रम में आपके विद्यालय को कक्षा 06 से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम से संचालन हेतु 01 अप्रैल 2019 से स्थायी मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन में अधीन होगी–

01. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय प्रशासन को 31 मार्च 2019 तक भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 341 दिनांक 10 अगस्त 2017 द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के नियम–23(2) में किये गये संशोधन के क्रम में मानव संसाधन विकास मत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अधिसूचना संख्या–856 दिनांक 17 अक्टूबर 2017 द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) में उल्लिखत व्यवस्था के अनुसार निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने हेतु दिनांक 31 मार्च 2019 तक का समय प्रदान किया गया है निर्धारित समयान्तर्गत अर्हतायें पूर्ण न करने की स्थिति में विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रशासन का होगा।
03. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावाली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
04. विद्यालय अपनी कक्षा 01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा,परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिऐ भी किया जायेगा।
05. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।

क्रमशः पृष्ठ 02 पर

06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म,जाति,जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।

07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किऐ जाएँगें—

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(दो) किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण प्रत्र प्रदान किया जाएगा।

(पॅाच) अधिनियम के प्राविधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश किया जाएगा।

(पॅाच) अधिनियम के प्राविधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेश किया जाएगा।

(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं वे 01 वर्ष के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगें।

(सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्त्व का निर्वहन करेंगें।

(आठ) शिक्षक निजी—स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण—गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगें।

08. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्वत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा —

विद्यालय — परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
खेल के मैदान का क्षेत्र
कक्षा— कक्षों की कुल संख्या
प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह भण्डार कक्ष
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय
पेयजल की सुविधा
मध्याहन भोजन के लिए रसोई—घर
बाधारहित पहुँच
शिक्षण अधिगम सामाग्री/खेल—कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता

11. इस मान्यता द्वारा केवल विद्यालय परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।

क्रमशः पृष्ठ 03 पर

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाऐं अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उर्पयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 14VM 2019 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृप्या अंकित एवं उद्वत किया जाए।

16. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर माँगे प्रतिवेदन एवं सूचनाऐं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनूपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

17. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

18. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं को अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

19. विद्यालय किसी भी दशा में स्वीकृत मान्यता के स्तर से अलग कक्षाओं के संचालन व स्वीकृत माध्यम से अलग माध्यम से संचालित किये जाने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी जिसका उत्तरदायित्व विद्यालय प्रशासन का होगा।

(नरेश शर्मा) 22/2/19
जिला शिक्षा अधिकारी,प्रा0शि0
बागेश्वर

रजिस्टर्ड

मा—19

प्रेषक,

क्षेत्रीय ~~सचिव~~ सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश,
क्षे0 कार्यालय, ~~मेरठ~~
रामनगर, (नैनीताल)

सेवा में,

प्रबन्धक,
विवेकानन्द विद्या मन्दिर,
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
मण्डलसेरा, बागेश्वर

पत्र संख्या: उप मा0 शि0 प0/मान्यता/रामनगर/ 328-33/99-2000 ~~मेरठ~~, दिनांक 28-12-1999

विषय:—आपका हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/~~अतिरिक्त (वर्ग/विषय)~~ की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन ने ~~मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त~~ इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा ~~7-क~~ 9(4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की ~~199~~ 2001 की हाई स्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त वर्ग/विषयों~~ (वित्तविहीन) में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने के पूर्व—शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण—सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ से 9वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/~~प्रधानाचार्या~~ की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

7(छ)।-प्राभृतीय धनराशि से होने वाली वार्षिक आय नियमित रूप से प्रति वर्ष संस्था के अनुपालन कोष में पृथक से जमा किया जाए।

2- प्राभृतीय धनराशि एवं वार्षिक आय के विवरणानुसार शपथपत्र(नोटरी का) मूल रूप में भेजें।

नोट:-उक्त समस्त बिन्दुओं की पूर्ति (दो माह के भीतर) कर पुष्टि में प्रमाण पत्रों को निरीक्षक के सत्यापनोपरान्त परिषद कार्यालय विशेष प्रतिबन्ध रामनगर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है; तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति के पंजीकरण/नवीनीकरण की पुष्टि में प्रमाण पत्र भेजें। केन्द्रीय समिति का पंजीकरण प्रति ग्राह्य नहीं है।

(ग) संस्था में अध्ययनरत छात्रों के अनुसार सज्जा एवं विज्ञान विषयक प्रयोगात्मक मेजों की व्यवस्था पूर्ण की जाए।

(घ) हाइस्कूल स्तर के विज्ञान विषयक शिक्षण सामग्री पूर्ण करते हुए पुष्टि में प्रमाण पत्र भेजें। जो सामान्य एवं जूनियर हाइस्कूल स्तर के शिक्षण सामग्री के अतिरिक्त होगा।

(ङ) 9×6मीटर माप के दो प्रयोगशाला, 4×3 मी0 एक प्रयोगशाला से संलग्नक कक्ष 3×4 मीटर=3, 6×6=(कुल 4 प्रशासकीय कक्ष तथा 6×5मी0=(कला कक्ष कुल 8 कमरों को नवनिर्मित होने की पुष्टि में मानचित्र भेजें जो पूर्व निर्मित कमरों के अतिरिक्त होंगे। (आपकी आख्या में कमरों की आय अंकित नहीं की गयी है। और न ही मानचित्र है।) वर्गवार विषयों का विवरण

(च) विद्यालय भवन एवं क्रीडास्थल का पृथक-पृथक क्षेत्रफल के साथ आख्या एवं मानचित्र भी भेजें तथा खतौनी की मूल प्रति भी भेजें।

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
हाईस्कूल (नवीन)	हिन्दी, अंग्रेजी, अथवा संस्कृत गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नैतिक शारीरिक समाजोपयोगी, उत्पादक एवं समाजसेवा कार्य	चित्रकला

टिप्पणी—(1) कक्षा 9 में प्रवेश हेतु कम से कम 25 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

विशेष:- संस्थाधिकारी से उक्त बिन्दुओं की पूर्ति की पुष्टि में प्रमाण पत्रों को प्राप्त करें अपने सत्यापनोपरान्त समस्त प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
[signature] 22/12/99
अपर सचिव
22/12/99

पृष्ठांकन संख्या : उप मा0 शि0 प0/मान्यता/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~। बागेश्वर।

(2) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक। नैनीताल

(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।

(4) हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा, संस्थागत अनुभाग। मा॰शि॰प॰रामनगर, (नैनीताल)

(5) सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।

अपर सचिव।

प्रेषक,

मा–19

अपर सचिव,
उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)

सेवा में,

प्रबन्धक, विवेकानन्द विद्या मंदिर
इ0का0 मण्डलसेरा, बागेश्वर
उत्तरांचल ।

पत्र संख्या : उ0 शि0 एवं प0 प0/मान्यता/रामनगर 110-14 दिनांक 18/6/2004

विषय :– आपका हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना पत्र।

महोदय,

शासन से मान्यता समिति एवं सभापति उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1987/1921 की धारा–7 क/धारा 9 (4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 2005 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में वित्तविहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान करें किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण–सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्णरूपेण संतुष्ट करें। इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0) से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिए सिंगिल सीटेड डैस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(कृ0 प0 उ0)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) समीपस्थ विद्यालयों पर कुप्रभाव न पडने का प्रमाण पत्र जि0शि0अ0द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करें ।

(ग) प्रयोगशाला 9×6 मी0- 02 तथा ~~8×8~~ 6×5 मी0 एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण । वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय ।

(घ) संस्था में प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाय ।

(ङ) प्रबन्ध समिति के सदस्यों का वित्त विहीन मान्यता स्वीकार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर नवीन विज्ञान वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी, भौतिकविज्ञान, रसायन विज्ञान जीव विज्ञान, गणित ।

टिप्पणी– कक्षा 11 में प्रवेश हेतु कम से कम 25 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबंधों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

(अपर सचिव)

पृष्ठांकन संख्या : उ0 शि0 एवं प0 प0/मान्यता/रामनगर तद् दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारीबागेश्वर ।
(2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल नैनीताल ।
(3) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उत्तरांचल, 2 सुमीष रोड, देहरादून।
(4) इण्टर अनुभाग ।

(अपर सचिव)

पी0एस0यू0 (आर0 ई0) 298 मा0शि0प0/599-5-12-2002-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।